राज्यस्तरीय अधियोजन निवेदण, राजस्थान, जयपुर
क्रान्ति स.3(6)(04)सं/मण्ड/अनि/2017/17076-17082  दिनांक= 18/12/17

-- आदेश --

राज्यस्तरीय लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वर्ष 2011 में आयोजित लिखित प्रेर-द्वितीय, संयुक्त परीक्षा, 2011 की प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सूचना (अनुभाग-3) द्वारा उनके पत्र क्रान्ति प.12(6)सं/अनुि-3/2016 दिनांक 12.09.2017 से इस विवाद को लिखित प्रेर-द्वितीय के पद पर नियुक्ति देने हेतु आवेदित करने के फलस्वरूप राज्यस्तरीय कार्यालय मंत्राौऽस्तरीय संस्था निम्न 1999 के अनुसार निर्देशित प्रक्रिया प्राप्ति अभ्यर्थियों को अधियोजन विवाद में रिलेशन लिखित प्रेर-द्वितीय के पद पर नियुक्ति विवाद को अभियोजन दिनांक 20.01.06 एवं किस नियुक्ति विवाद को अभियोजन क्रान्ति प. 15(5)/रिफर/2017 दिनांक 30.10.17 के अनुसार दो वर्ष की अवधि को लिखित परीक्षाकार प्रशिक्षक (Probationer-Trainee) के रूप में नियुक्ति परीक्षाकार संस्थान के पद पर पूर्ण करने के उद्देश्य पै-मेंसेज़ लेख लंबी संकाय 5 पर अभियोजित शासन द्वारा करार कार्यसूची उनके नाम के साथ अग्रिम लाखाय निर्देशक अभियोजन से अभियोजन एवंदह विवाद का जरी जताता है --

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. सं.</th>
<th>अभ्यर्थी का नाम व निर्देशक का नाम</th>
<th>वर्ग</th>
<th>जन्म दिनांक</th>
<th>भरत पद</th>
<th>शेष नब्बे</th>
<th>पदस्थापन सूची</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>श्री हरी शाहरूख सिंह</td>
<td>सामान्य</td>
<td>01-04-1978</td>
<td>506-A</td>
<td>207507</td>
<td>साहाय्यी निर्देशक अधियोजन, भरतपुर</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. उक्त नियुक्ति की,संरक्षण दिन अभियोजन संकाय 3881/2017 राज्यस्तरीय लोक सेवा आयोग बनाव
2. परीक्षाकार प्रशिक्षण अवधि के दौरान विवाद (नियुक्ति) विवाद को अभियोजन संकाय एक. 12(6)एकड़/संस्था/05 दिनांक 13.03.06, 1(6)एकड़/संस्था/05 दिनांक 13.03.06, 12(1)एकड़/संस्था/03 दिनांक 13.03.06, एवं राज्यस्तरीय हस्तित विवाद (संयुक्त विवाद) दिनांक 2017 दिनांक 30.10.17 एवं संयुक्त विवाद दिनांक 09.12.2017 के अनुसार नियुक्ति परीक्षाकार कार्यरत (Fixed Remuneration) के हकदार होते।
3. परीक्षाकार प्रशिक्षण अवधि के परिणाम संचालित संस्थान पर आयोजित नहीं होगी।
4. परीक्षाकार कार्य (Probation-Period) में इसी कार्यकाल दिनांक नहीं होगी।
5. इसी अवधि का कार्य एवं आयोजन परीक्षाकार अवधि में उन्ही अभ्यर्थी विवाद की सामान्यता पर सन्नियाह नहीं पाया गया अभ्यर्थी कार्य की सामान्यता पर ली गई विभागीय विवाद यदि कोई
हो तो उसमें असफल रहने पर उन्हें बिना किसी कार्यपूर्ति के सेवा से किसी भी समय निवृत्त किया जा सकेगा।

6. यो पद की परिभाषा अवधि में संस्थापक सेवा पूर्त करने के उपरांत ही इसका देशी निर्धारण लिखित पद-विभाग से पद पर पै-मेट्रोस्क लेख कांड 5 में नियमन्त्रक किया जाकर नियुक्त एंव उस पर अपने देश रखे होगे।

7. परिभाषा प्रश्नानुसार अवधि में हरा स्वतंत्र या अंकार्य अध्ये राजस्थान सेवा नियमों के संबंधित आदेश द्वारा प्रसिद्धिभार्य के अनुसार देश रखेंगे।

8. राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ 13(क)फिल्म/फिल्म/2003 दिनांक 28.01.04 एंव 27.03.04 संयुक्त आदेश दिनांक 30.10.17 व 09.12.2017 के तहत अंतर्गत रेषेंट योजना के प्रभावण लागू होंगे एंव अंतर्गत आदेश जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गये उसे अन्ततः ही राजस्थान संसद से रेषेंट देश रखें।

9. उक्त नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परियोजनाओं के अनुसार मानिया होगी एंव समय में जारी किए गये निर्देश/परियोजना लागू होंगे।

10.उक्त अभियानों को कार्यान्वयन करने से पूर्त 10/- साल में समूचे जीवन जीवनिक अवधि पर इस आदेश का व्याप-प्रजा प्रत्युत्तर करना होगा कि उनके द्वारा आदेश पत्र में दी गई समस्त अवधि एंव संयोजन द्वारा गाये प्रमाण पत्र में सद्भाव है। प्रत्येक दस्तावेज में से कोई दस्तावेज/टिप्पणी अवलोकन/फॉर्म जारी करने पर सरकार से सूची देने तैयार करना होगी।

11.उक्त अभियानों की जन्म विधि उनके द्वारा पूर्त सरकारी परिभाषा पूरा करने के मूल प्रमाण पत्र के आदेश पर अधिकार की गई है। अधिकार की गई जन्म विधि अपरिवर्तित होगी।

12.अभियानों की निर्दिष्ट विधि लिखित रूप से राजस्थानी के पद पर कार्यान्वयन की तिथि से मान्य होगी।

13.अभियानों को कार्यान्वयन संबंधी हेतु किसी पक्ष का खारा भाग देना नहीं होगा। 

इसका प्रभावण जिले में रिकार्ड लिखित पद-विभाग के पद पर सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा किया जाएगा।

(देशी दैलित)
निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का उपहार या आदेशक कार्यान्वयन हेतु प्रसिद्ध है—

1. उस शासन निमित्त, प्रशासनिक सूचना भिंताव (अनुभव-3) भिंताव, जयपुर।

2. उस निदेशक अभियोजन, जयपुर।

3. सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर को मेजबान लेना है कि उन्होंने अपने लिए देने में प्रस्तावित उस अभियोजक निम्नलिखित समस्त ग्रामीण में कार्यान्वयन नहीं करना है तो स्तरवर्ती उसे कार्यान्वयन करने की अधिकार प्रमाण नहीं करेंगे। इसके बाद उसे वेतन सूचना का साधारण लघु दिल्ली प्रेम कर लेंगे, जिसकी प्रमाण प्रतिपादन है।

4. प्रजातियों – वह हरी शर्मा सर्व नवी निम्न स्तरभरी लाइट हार्ट। निम्नावलि – गांव चावड़े, लुंगड़ी-झाराड़, जिला-राजस्थान 321404 (रज.) को भेजकर लेख है कि अपूर्त 15 दिन की अवधि अर्थरा अवधक रूप से कार्यान्वयन कर देंगे।

5. निजी प्रतिलिपि/ विधि शाखा/गोवर्य शाखा, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

6. सशक्त प्रतिलिपि।

RPSC/Announcement/